HIGH COURT OF MADHYA PRADESH JABALPUR

Endt No. :B/.3085
III-6-3/85

Jabalpur, dt. 26....May, 2018

The copy of the Notification issued by the Law and Legislative Affairs Department, Bhopal, vide F No. 1713/2018/21-B(one)/ dated 14-04-2018, in exercise of powers conferred by Section 23 of Family Court Act, 1984 (66 of 1984), regarding amendment in Madhya Pradesh Family Court Rules, 2002, addition of Rule 18 A : Eligibility for empanelment of Amicus Curie, is forwarded to :-

1. P.P.S. to Hon'ble the Chief Justice, High Court of Madhya Pradesh, Jabalpur for placing the matter before his Lordship,
2. P.S. to Registrar General / Registrar(Judl) / Registrar(DE) / Registrar (I & V) / V II / Registrar (Examination) / Registrar (I.LR.) / OSD-(DE) High court of Madhya Pradesh Jabalpur,
3. Principal Registrar, Bench at Indore / Gwalior, High Court of M.P.,
4. District and Sessions Judge, All in the state,
5. Principal Judge, Family Court, All in the state,
6. P.A. to Director / Additional Director, M.P. State Judicial Academy, High Court of Madhya Pradesh, Jabalpur;
7. D.R. Confdl / S.O.(Checker/W.S./Budget), High Court of Madhya Pradesh, Jabalpur;
8. Server Room (Computer) for making available in the official website of the High Court under the hyperlink circular/ orders etc.

Varun Punase 26.5.18

(VARUN PUNASE)
O. S. D. (DE)

मध्यप्रदेश शासन विधि और विधायी कार्य विभाग

अधिसूचना

भोपाल, दिनांक 17 अप्रैल 2018

फा.क्रमांक 1713/2018/21–ब(एक), कुटुम्ब न्यायालय अधिनियम, 1984 (1984 का 66) की धारा 23 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय के परामर्श से, एतद्द्वारा, मध्यप्रदेश कुटुम्ब न्यायालय नियम, 2002 में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात् :–

संशोधन

उक्त नियमों में, नियम 18 के पश्चात्, निम्नलिखित नियम जोड़ा किया जाए, अर्थात्:–

"18–क. न्यायमित्र को पैनलबद्ध होने हेतु पात्रता .–

(1) कुटुम्ब न्यायालय में न्यायमित्र पैनलबद्ध हेतु निम्नलिखित व्यक्ति पात्र होंगे :

(एक) भारत के उच्चतम न्यायालय का कोई सेवानिवृत्त न्यायाधीश ;

(दो) उच्च न्यायालय का कोई सेवानिवृत्त न्यायाधीश ;

(तीन) उच्चतर न्यायिक सेवा का कोई सेवानिवृत्त सदस्य ;

(चार) उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालय या जिला न्यायालय या समकक्ष स्तर की बार की न्यूनतम 10 वर्षों की वकालत वाला कोई किसी विधि व्यवसायी की अवस्थिति।

(2). निर्हताएं :–

कोई व्यक्ति, न्यायमित्र के रूप में पैनलबद्ध होने के लिए निरर्हित होगा यदि वह :–

(क) दिवालिया घोषित किया जा चुका है ; या

(ख) किसी आपराधिक न्यायालय द्वारा विरिचित किए गए नैतिक अधमता अर्न्तवलित करने वाले आरोपों का सामना कर रहा है और जो लंबित है; या

(ग) नैतिक अधमता से अन्तर्ग्रस्त किसी अपराध के लिए सिद्धदोष ठहराया जा चुका है तथा कारावास की सजा सुनाई गई है; या

(घ) समुचित अनुशासनात्मक प्राधिकारी द्वारा शुरू की गई अनुशासनात्मक कार्यवाहियों का सामना कर रहा है, जो लंबित हैं या जिसकी सजा सुनाई जा चुकी है ; या

(ड.) विवाद/विवादों की विषय–वस्तु से हितबद्ध या संबद्ध है या पक्षकारों के किसी एक से संबंधित है या वे जो उनका प्रतिनिधित्व करते हैं, जब तक कि समस्त पक्षकारों द्वारा ऐसी आपत्ति लिखित में माफ की गई है; या

(च) एक विधि व्यवसायी है जो वाद में या किसी अन्य कार्यवाही/कार्यवाहियों में किसी पक्षकार हेतु उपस्थित हुआ है।

(3) पैनल से जोड़ना या हटाना .–

(क) न्यायमित्र के पैनलबद्ध की प्रक्रिया यह होगी कि पात्रता के मानदंडों को पूरा करने वाला व्यक्ति अपनी पात्रता की घोषणा/सबूत के साथ प्रत्येक कैलेण्डर वर्ष की 31 जनवरी को या उसके पूर्व उच्च न्यायालय या संबंधित जिले के जिला एवं सत्र न्यायाधीश को आवेदन कर सकता है।

(ख) उच्च न्यायालय/जिला एवं सत्र न्यायाधीश संबंधित बार एसोसिएशन से इच्छुक व्यक्ति का नाम तथा पैनलबद्ध होने के मानदंडो की पात्रता को पूर्ण करने वालों को बुला सकता है।

(ग) उच्च न्यायालय के पूर्व अनुमोदन के साथ कुटुम्ब न्यायालय के प्रधान न्यायाधीश स्वविवेक से, समय–समय पर, न्यायमित्र के पैनल में किसी व्यक्ति का नाम जोड़ या हटा सकते हैं।

(4) न्यायमित्र के कर्त्तव्य .–

न्यायमित्र के कर्त्तव्य निम्नानुसार होंगे.–

(क) न्यायमित्र प्रकरण के संबंध में न्यायालय की सहायता करेगा किन्तु किसी विशिष्ट याचिकाकर्ता/पक्षकार के लिए नहीं। उससे निष्पक्ष रूप से विधि विस्तार द्वारा न्यायालय की मदद करने की अपेक्षा भी जाएगी।

(ख) जब किसी व्यक्ति से न्यायमित्र के रूप में उसकी प्रस्तावित नियुक्ति के संबंध में संपर्क किया जाता है, तो वह उन परिरिस्थितियों को प्रकट करेगा जिससे उसकी स्वतंत्रता या निष्पक्षता के बारे में उचित संदेह उद्भूत होना संभाव्य है।

(ग) प्रत्येक न्यायमित्र अपनी नियुक्ति के समय से तथा कार्यवाहियों को जारी रहने के दौरान, बिना किसी विलंब के खण्ड (ख) में निर्दिष्ट किसी परिस्थिति के अस्तित्व के बारे में पक्षकारों से खुलासा करेगा।

(5) नियुक्ति वापस लेना .–

न्यायमित्र द्वारा दी गई जानकारी पर या पक्षकारों या अन्य व्यक्तियों से प्राप्त किसी अन्य जानकारी पर, यदि न्यायालय, जिसमें वाद या कार्यवाहियां लंबित हैं, का यह समाधान हो जाता है कि उक्त सूचना ने न्यायमित्र की स्वतंत्रता या निष्पक्षता के बारे में उचित संदेह उद्भूत किया है, तो वह नियुक्ति वापस ले सकता है तथा किसी अन्य वाद मित्र से उसको प्रतिस्थापित कर सकता है।

(6) जानकारी की गोपनीयता, प्रकटीकरण तथा अग्राह्यता .–

(क) न्यायमित्र द्वारा किसी दस्तावेज की प्राप्ति या परिशीलन या जबकि उस हैसियत में सेवारत् हो न्यायमित्र द्वारा मौखिक रूप से सूचना की प्राप्ति गोपनीय होगी तथा न्यायमित्र को दस्तावेज या अभिलेख या मौखिक जानकारी के बारे में जानकारी प्रकट करने के लिए मजबूर नहीं किया जाएगा जैसा कि कार्यवाहियों के दौरान घटित होने वाली जानकारी में क्या हुआ है।

(ख) पक्षकार वादमित्र के दौरान घटित होने वाली घटनाओं के बारे में गोपनीयता बनाए रखेंगे तथा उन पर निर्भर नहीं होंगे या किन्हीं कार्यवाहियों में उक्त जानकारी प्रस्तावित नहीं करेंगे।

(7) न्यायमित्र तथा न्यायालय के मध्य संसूचना .–

(क) न्यायालय में पक्षकारों के विश्वास को सुरक्षित रखने के क्रम में, तथा न्यायमित्र की तटस्थता को बनाए रखने के लिए इस नियम के उप–नियम (2) तथा (3) में यथा कथित के सिवाय न्यायमित्र तथा न्यायालय के मध्य कोई संसूचना नहीं होनी चाहिए।

(ख) यदि न्यायमित्र तथा न्यायालय के मध्य कोई संसूचना आवश्यक है, तो यह लिखित में होगी तथा उसकी प्रतियां पक्षकारों या उनके नियत न्यायवादी या काउंसेल को दी जाएंगी।

(ग) न्यायमित्र तथा न्यायालय के मध्य समस्त संसूचना केवल न्यायमित्र द्वारा तथा निम्नलिखित मामलों के बारे में होगी–

(एक) पक्षकार या पक्षकारों की उपस्थिति में असफल होने पर;

(दो) न्यायमित्र का निर्धारण कि प्रकरण निपटारे हेतु उपयुक्त नहीं है;

(तीन) पक्षकारों के मध्य उद्भूत होने वाले विवाद या विवादों के निपटारे; या

(चार) विधि के किसी बिन्दु के बारे में, कोई अभिमत यदि कुटुम्ब न्यायालय द्वारा सहायता के लिए न्यायमित्र को निर्दिष्ट की गई है।"।

NOTIFICATION

F.No.1713/2018/21-B(One)/ In exercise of the powers conferred by section 23 of the Family Courts Act, 1984 (No. 66 of 1984), the State Government, in consultation with the High Court of Madhya Pradesh, hereby, makes the following amendment in the Madhya Pradesh Family Court Rules, 2002, namely :-

AMENDMENT

In the said rules, after rule 18, the following rule shall be added, namely :-

"18-A. Eligibility for empanelment of Amicus Curiae.-

(1) The following persons shall be eligible for empanelment of Amicus Curiae in the Family Court :-

(a) Any retired Judge of the Supreme Court of India;

(b) Any retired Judge of the High Court;

(c) Any retired member of the Higher Judicial Service;

(d) any Legal practitioner with minimum 10 years standing at the bar at the level of the Supreme Court, High Court or the District Court or equivalent status.

(2) **Disqualifications.-**

A person shall be disqualified for being empanelled as amicus curiae if he,

(a) has been adjudged as insolvent; or

(b) is facing criminal charges involving moral turpitude, framed by a criminal court and which are pending; or

(c) has been convicted and sentenced to imprisonment for an offence involving moral turpitude; or

(d) is facing disciplinary proceedings initiated by the appropriate disciplinary authority which are pending or have resulted in a penalty; or

(e) is interested or connected with the subject-matter of dispute(s) or is related to any one of the parties or to those who represent them, unless such objection is waived by all the parties in writing; or

(f) is a legal practitioner who is appearing for any of the parties in the suit or in other proceeding(s).

(3) **Addition to or deletion from panel.-**

(a) The process of empanelment of amicus-curiae will be that the person fulfilling the criteria of eligibility may apply to the High Court or the District and Sessions Judge of concerning District on or before 31st January of each calendar year alongwith declaration/proof of his eligibility.

(b) The High Court/the District and Sessions Judge may call from the concerning Bar Association, the name of the person interested and fulfilling the eligibility criteria for empanelment.

(c) The Principal Judge of the Family Court with prior approval of the High Court may in his discretion, from time to time, add or delete the name of any person in the panel of amicus curiae.

(4) **The duties of the amicus curiae.-**

The duties of the amicus curiae shall be as under :

(a) The amicus-curiae shall assist the court with regard to the case but not to the any particular petitioner/party. He shall be required to help the court by expanding the law impartially.

(b) When a person is approached in connection with his proposed appointment as amicus curiae, he shall disclose circumstances likely to give rise to a reasonable doubt as to his independence or impartiality;

(c) Every Amicus Curia shall from the time of his appointment and during continuance of the proceedings, without delay, disclose to the parties, about the existence of any circumstance referred to in clause (b).

(5) **Withdrawal of appointment.-**

Upon information furnished by the Amicus Curiae or upon any other information received from the parties or other persons, if the court, in which the suit or proceedings is pending, is satisfied that the said information has raised a reasonable doubt as to the amicus curiae independence or impartiality, he may withdraw the appointment and replace him by another amicus curiae.

(6) **Confidentiality, disclosure and inadmissibility of information.-**

(a) Receipt or perusal of any document by the amicus curiae or receipt of information orally by the amicus curiae while serving in that capacity, shall be confidential and the amicus curiae shall not be compelled to divulge information regarding the document or record or oral information not as to what transpired during the proceedings.

(b) Parties shall maintain confidentiality in respect of events that transpired during the amicus curiae and shall not rely on or introduce the said information in any proceedings.

(7) **Communication between amicus curiae and the Court.-**

(a) In order to preserve the confidence of parties in the Court and the neutrality of the amicus curiae, there should be no communication between the amicus curiae and the Court, except as stated in sub-rule (2) and (3) of this rule.

(b) If any communication between amicus curiae and the Court is necessary, it shall be in writing and copies of the same shall be given to the parties or their constituted attorneys or the counsel.

(c) All communication between the amicus curiae and the Court shall be made only by the amicus curiae and in respect of the following matters-
  (i) The failure of a party or parties to attend;
  (ii) The amicus curiae's assessment that the case is not suited for settlement;
  (iii) Settlement of dispute or disputes arrived at between parties; or
  (iv) Any opinion regarding any point of law, if referred to the amicus curiae for assistance by the Family Court.".

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार

(ए.एम. सक्सेना)
प्रमुख सचिव,
मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग

फा.क्रमांक 1713/2018/21–ब(एक), भोपाल, दिनांक 14 अप्रैल, 2018
प्रतिलिपिः–

1. रजिस्ट्रार जनरल, म.प्र. उच्च न्यायालय जबलपुर, की ओर पत्र क्र. सी/863/III-.6-3/85 (Sensitisation) दिनांक 06.02.2018 के संदर्भ में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित है।
2. उप नियंत्रक, शासन केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल की ओर म.प्र. राजपत्र के आगामी अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित।

(नवीन कुमार सक्सेना)
सचिव,
मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग